

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्द्थ- भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00) का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -बेगल
तहसील मोरी, जिला :- उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्द्थ भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे०) आरक्षित वन भूमि, 4.950 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.950 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बेगल** द्वारा दिनांक 17/5/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बेगल** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना / प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

शुन्ती
सन्ती
प्रधान ग्राम पंचायत बेगल
वि०ख० मोरी (उत्तरकाशी)
 ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 17/5/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेगल

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्डथ- भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00) का निर्माण कार्य।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जयपाल सिंह 5/0 जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
2-	चन्द्र दास 5/0 निम दास	चन्द्र दास
3-	वचन सिंह 5/0 लुका सिंह	वचन सिंह
4-	सैन सिंह 5/0 कमरु वद	कमरु
5-	सबल सिंह 5/0 सुरत सिंह	सबल सिंह
6-	हंस राम 5/0 जीत सिंह	हंस राम
7-	चन्द्र सिंह 5/0 नारायण सिंह	चन्द्र सिंह
8-	राम चन्द्र 5/0 भोप सिंह	राम चन्द्र
9-	रतन सिंह 5/0 राम सिंह	रतन सिंह
10-	मते सिंह 5/0 भवान सिंह	P. Ramesh
11-	रूप दास 5/0 ज्ञान दास	रूप दास
12-	फागीया दास 5/0 निम दास	फागीया दास
13-	शैकम सिंह 5/0 महेन्द्र सिंह	शैकम
14-	जठम दास 5/0 फूल दास	जठम दास
15-	आनंद सिंह 5/0 शिवा सिंह	आनंद
16-	शैकम सिंह 5/0 केकार सिंह	केकार
17-	कृपाल सिंह 5/0 मौर सिंह	कृपाल
18-	धर्मदास 5/0 कालिदास	धर्मदास
19-	मातवर सिंह 5/0 पूर्ण सिंह	मातवर सिंह
20-	सदाम हुसैन 5/0 तालब	सदाम हुसैन
21-	किर्ति सिंह 5/0 मातवर सिंह	K.S. Pan
22-	पिकाश 5/0 जयपाल सिंह	पिकाश
23-	सुरेश कुमार 5/0 रूप दास	सुरेश कुमार
24-	जगत सिंह 5/0 जीत सिंह	जगत सिंह
25-	हरि चन्द्र 5/0 कमरु वद	हरि चन्द्र
26-	चन्दन सिंह 5/0 राम सिंह	चन्दन सिंह
27-	राजेन्द्र सिंह 5/0 लुका सिंह	राजेन्द्र सिंह

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्द्स्थ- भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00) का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत बेगल मोटर मार्ग का नव निर्माण (शून्यहो0 आरक्षित वन भूमि, 4.95 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल शून्य हे० वन भूमि) का पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 08/07/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के.के. सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री के.के. सिंह उपजिलाधिकारी - पुरोला अध्यक्ष
- 2- श्री श्री.एस. श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी दॉ.स.अ.पुंजा सदस्य
- 3- श्री सुनीलप्रबत सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी सदस्य/सचिव
- 4- श्री प्रदीपेवर्मा चौधरी पी०डी०सी० क्षेत्र गुजरा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी।
माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, पुरोला के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मैन्द्स्थ-भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल, मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 4.950 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मागला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अ.स.पुंजा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, पुरोला के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मैन्द्स्थ-भंकवाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से बेगल, मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित) में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-मोरी
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवक कार्यवाही हेतु।

अ.स.पुंजा
पटवारी...
तहसील...
जिला-उत्तरकाशी

के.के. सिंह
तहसीलदात्र
मोरी
जिला - उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
पुरोला
विभाग उत्तरकाशी

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

No---

Dated--- 28/Sep/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Begal Motor Road from Km. 3 of Mhandarth Bhankwar Road in Block Mori District Uttarkashi, Under P.M.G.S.Y.(purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Begal, Talwar village(s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

प्रतिहस्ताक्षर

Signature

जिलाधिकारी

उत्तरकाशी

(Full name and official seal of District Collector)

पटवारी.....
तहसील.....
जिला-उत्तरकाशी

तहसीलदार
मोरी

जिला - उत्तरकाशी

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Uttarkashi.

No---

Dated--28/Sep/2015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that entire 4.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Begal Motor Road from Km. 3 of Mhandarth Bhankwar Motor Road in Block Mori District Uttarkashi, Under P.M.G.S.Y. (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Begal, Talwar village (s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto annexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Begal. villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रतिस्तावर

Signature

उत्तरकाशी

पटवारी.....
तहसील.....
जिला-उत्तरकाशी

तहसीलदार
मोरी
जिला - उत्तरकाशी

जय निवाधिकारी
इपेन
जिला- उत्तरकाशी

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Indudhes Badoi I.A.S deputy commissioner, Uttarkashi on dated 20 Sep 2015 at time 3:00pm at Uttarkashi in which application claiming rights in R.F. area measuring 4.750 hect for the construction of Begal Mohorad forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mori sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi
Dated: 28 Sep 2015

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-Chairman
उत्तरकाशी
District Level Committee

Apzlab
पटवारी.....
तहसील.....
जिला-उत्तरकाशी

तहसीलदार
मोरी
जिला - उत्तरकाशी

उप विभागाधिकारी
पुणेवा
जिला-उत्तरकाशी